


वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें ।

परमिट संबंधी आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात निश्चित रूप से संलग्न किया जाय ।

1. निबंधन पुस्त (व्हील बेस एवं बैठान क्षमता का स्पष्ट उल्लेख हो ।)
2. अद्यतन कर प्रतीक ।
3. अद्यतन बीमा कागजात ।
4. अद्यतन दुरुस्ती प्रमाण-पत्र ।
5. समय-सारणी ।
6. मार्ग का नक्शा ।(अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग हेतु)
7. वाहन स्वामी का फोटो ।
8. बैंक खाता की फोटो प्रति ।
9. परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क (एन.ई.एफ.टी.के माध्यम से)
10. मोटर वाहन उपक्रम चलाने का निबंधन प्रमाण-पत्र ।
11. वाहन स्वामी का शपथ पत्र जिसमें वाहन स्पेयर होने अथवा नहीं होने का उल्लेख हो ।
12. वाहन के विंडस्क्रीन पर इंजन नं0 एवं चेचीस नं0 अंकन का मोटरयान निरीक्षक का प्रमाण पत्र ।

- नोट:- (i) आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजात वाहन स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित रहें ।
(ii) सभी कागजात सुस्पष्ट हो, आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित रहे ।
(iii) समय सारणी में किसी प्रकार का कटिंग या ओवरराईटिंग नहीं होना चाहिए।
(v) AM/PM का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।
(iv) आवेदन पत्र पर वाहन स्वामी का मोबाईल नम्बर निश्चित रूप से अंकित किया जाय ।


प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।